

संपादकीय

संसद का काम जनहित से जुड़े मसलों पर मंथन कर उन्हें निर्णायक रूप देने का होता है, मगर जब संसद में कोई कामकाज ही नहीं होगा, तो फिर उसके मूल उद्देश्य की पूर्ति कैसे हो पाएगी। प्रवेश परीक्षाओं की प्रणाली में सुधार और जवाबदेही तय करने का मुद्दा अब सड़क से लेकर संसद तक पहुँच गया है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर युवाओं का विरोध प्रदर्शन जारी है और संसद के दोनों सदनों में विपक्ष इस मसले को जोर-शोर से उठा रहा है।

संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।यह सच है कि देश का संविधान हर नागरिक को इजाजत देता है कि वह शासन-प्रशासन या किसी संस्था की नीतियों और निर्णयों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना असंतोष और मांग जाहिर कर सकता है। ऐसे में क्या वजह रही कि प्रदर्शन कर रहे युवाओं से संवाद के बजाय उनके खिलाफ बल प्रयोग करने को ही अंतिम विकल्प मान लिया

सड़कों से संसद तक गूँजा स्टूडेंट्स का आक्रोश, समाधान कब?

गया !क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि प्रदर्शनकारी युवाओं की मांग पर विचार किया जाए और समाधान का कोई रास्ता निकाला जाए? यही नहीं, संसद में इस मुद्दे पर बने गतिरोध से जो कीमती समय बर्बाद हो रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? संसद का काम जनहित से जुड़े मसलों पर मंथन कर उन्हें निर्णायक रूप देने का होता है, मगर जब सदन में कोई कामकाज ही नहीं होगा, तो फिर उसके मूल उद्देश्य की पूर्ति कैसे हो पाएगी।

दरअसल, नीट में गड़बड़ियों को लेकर काकरोच जनता पार्टी (काजपा) की ओर से जंतर-मंतर पर पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री हमेंद्र प्रधान के इस्तीफे और प्रवेश परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं।इस मामले ने बीते शनिवार को तब तुल पकड़ा, जब बीस दिनों से अनशन पर बैठे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस ने जबरन अस्पताल में भर्ती करा दिया। इसे

की जाती, तो प्रदर्शनकारियों के संसद तक मार्च को टाला जा सकता था। प्रदर्शनकारी युवा अब भी जंतर-मंतर पर उठे हुए हैं और वे अपनी मांगों पर अडिग हैं। वहां ज्यादा भीड़ जमा न हो, इसके लिए बुधवार को सुरक्षा कार्णों का हवाला देते हुए दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सत्रह स्टेशनों को बंद कर दिया। मगर इसका खमियाजा उन सैकड़ों यात्रियों को भी भुगतना पड़ा, जो अपने रोजमर्रा के कार्यों के लिए मेट्रो से सफर करते हैं।

तत्काल स्वास्थ्य लाभ के चक्कर में डॉक्टर शॉपिंग का नया चलन

(**डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा)**

डॉक्टर शॉपिंग के इस दौर में अन्य चिकित्सक की विशेषज्ञ सलाह लेने और चिकित्सक बदलने में हमें अंतर करना होगा। अन्य विशेषज्ञ की सलाह को तो ईलाज कर रहे चिकित्सक को विश्वास में लेकर लेने से ईलाज में और अधिक सकारात्मकता आती है पर बार बार चिकित्सक बदलना उचित नहीं माना जा सकता।

समय के साथ सोच में एक बड़ा बदलाव तेजी से यह देखने में आ रहा है कि यदि जुखाम, बुखार, खांसी जैसी सामान्य बीमारी में भी डॉक्टर की दवा से तत्काल राहत नहीं मिलती तो अब डॉक्टर बदलने में कोई गुरेज नहीं होता।

देखा जाएं तो तुरंत स्वास्थ्य लाभ की प्रवृति के कारण डॉक्टर के ईलाज पर विश्वास में कहीं ना कहीं कमी देखने में आने लगी है और इसके परिणाम स्वरूप महानगरों में डॉक्टर शॉपिंग का नया ही चलन चलने लगा है। खासतौर से मरीज से मिलने-मिलाने वाले चिकित्सक बदलने की सलाह देने में किसी तरह का कोई गुरेज नहीं करते। चिकित्सक बदलने में कोई बुराई नहीं है पर जिस चिकित्सक से ईलाज करवा रहे हैं उससे बीमारी ठीक होने की संभावना के संबंध में चर्चा करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अन्य चिकित्सक की सलाह लेना और चिकित्सक बदलने में हमें अंतर करके चलना होगा। बीच ईलाज ही बार बार डाक्टर बदलने के कई साइड इफेक्ट से भी दो चार होना पड़ता है और कई बार तो डॉक्टर बदलने का यह प्रयोग ईलाज पर विपरीत प्रभाव और गंभीर संकट में डाल देता है। मिसाल के तौर पर सामान्य खांसी की बीमारी या पेट में गड़बड़ या वाइरल बुखार होने पर जब डॉक्टर द्वारा दवा का जो कोर्स दिया जाता है उसके पूरा होने के पहले ही यानी की मान लो पांच दिन का कोर्स दिया है तो तीसरे दिन ही अधीर होकर दूसरे डॉक्टर की शरण में जाना आम होता जा रहा है। हालांकि यह प्रवृति कुछ ही लोगों में है पर महानगरों और बड़े शहरों में इस तरह की प्रवृति जिस तेजी से बढ़ती जा रही है वह गंभीर चिंता का सबब बनती जा रही है। चिकित्सकीय भाषा में कहा जाए तो यह प्रवृति शॉपिंग का एक नया रूप डॉक्टर शॉपिंग के रूप में तेजी से फैलती जा रही है। हो यह रहा है कि इसके साइड इफेक्ट से अनजान होकर आगे बढ़ रहे हैं।

डॉक्टर शॉपिंग का कंसेप्ट बीसवीं सदी में नशीली दवाओं की प्राप्ति के लिए एक नए वाले प्रयासों के लिए चलन में आया था। नशीली दवाओं के आदतन लोग एक से दूसरे डॉक्टर के पास परचा लिखवाने इसलिए जाते थे ताकि नशीली दवाओं का संग्रह कर सकें। क्योंकि नशीली दवा एक सीमा तक ही मिलती

(**उमेश चतुर्वेदी)**

इसे संयोग ही कहेंगे कि जब रेडियो प्रसारण तकनीक का आविष्कार हुआ, उन दिनों देश गुलामी की जंजीरों से बंधा था। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत में भी प्रसारण की प्रेरणा ब्रिटेन से मिली। रेडियो प्रसारण तकनीक के विकास के साथ ही 1922 में बीबीसी का गठन हो चुका था।

आज का दिन भारतीय प्रसारण के इतिहास में विशेष महत्व है। ठीक 99 साल पहले 23 जुलाई 1927 को मुंबई में भारत में पहले व्यवस्थित और संस्थानिक प्रसारण की शुरुआत हुई थी। इस लिहाज से भारतीय प्रसारण आज से अपनी शतकीय सोपान की ओर बढ़ रहा है। इस शतकीय यात्रा में रेडियो की तकनीक में बहुत बदलाव हुआ है। पारंपरिक मीडियम वेव से लेकर शॉर्ट वेव होते हुए रेडियो अब एफएम यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल के साथ ही डिजिटल दौर में प्रवेश कर गया है। मीडिया के चरित्र में भी सौ साल में बहुत बदलाव हो गया है, लेकिन रेडियो आज भी संवाद और मनोरंजन के सहज संचार माध्यम के रूप में जिंदा है। आसानी से हर जगह उपलब्धता और विषय तकनीकी वजह से आपदा के क्षणों में संचार के दूसरे माध्यमों की तुलना में रेडियो अब भी सबसे ज्यादा प्रभावी माध्यम बना हुआ है। समुद्री तूफानों, सुनामी, कश्मीर

घाटी की बाढ़ आदि मौकों पर संवाद के लिए रेडियो ने अपनी ताकत और उपादेयता को बार-बार साबित किया है। देश से माओवादी और नक्सली आतंक का खात्मा हो चुका है, लेकिन एक दौर में विशेषकर बस्तर के नक्सली इलाकों में नक्सलियों से संवाद के लिए रेडियो का ही इस्तेमाल किया जाता था। इसे संयोग ही कहेंगे कि जब रेडियो प्रसारण तकनीक का आविष्कार हुआ, उन दिनों देश गुलामी की जंजीरों से बंधा था। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत में भी प्रसारण की प्रेरणा ब्रिटेन से मिली। रेडियो प्रसारण तकनीक के विकास के साथ ही 1922 में बीबीसी का गठन हो चुका था। हालांकि ब्रिटेन में इसके पहले ही निजी और शौकिया प्रसारण की शुरुआत हो चुकी थी। इसका असर भारत पर भी पड़ा। भारत में भी 1920 से 1926 के बीच तत्कालीन बंबई और कलकत्ता में रेडियो क्लबों की शुरुआत हुई। उन क्लबों ने अपने तरीके से प्रसारण के किंचित सफल और ज्यादातर असफल प्रयास भी किये। उन दिनों भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इर्विन थे। अखबारों की तुलना में रेडियो प्रसारण की अहमियत और प्रभाव को इर्विन समझते थे। शायद यही वजह रही कि भारत में 1926 में गठित इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का गठन हुआ। कुछ रिकॉर्ड के मुताबिक बांबे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब ने जून 1923 में पहला रेडियो प्रसारण किया। इसके करीब पांच महीने बाद नवंबर 1923 में कलकत्ता रेडियो क्लब की स्थापना हुई। ऐसे ही प्रयास तत्कालीन मद्रास में भी हुए। लेकिन पहला व्यवस्थित और संस्थानिक रेडियो प्रसारण इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने 23 जुलाई 1927 को मुंबई से किया था। इसी वजह से भारत हर साल 23 जुलाई को प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके महीनेभर बाद 26 अगस्त 1927 को कलकत्ता से बांग्ला में प्रसारण शुरू हुआ।

इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी छह लाख की पूंजी से शुरू की गई थी। कंपनी ने रेडियो प्रसारण के लिए अंग्रेज सरकार से 13 सितंबर 1926 को करार हुआ, जिसके तहत उसने प्रसारण शुरू किया। कंपनी को पूंजी में से साढ़े चार लाख दोनों रेडियो केंद्रों की स्थापना में ही खर्च हो गए। तब आमदनी का स्रोत



रखने का श्रेय भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो और ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कंपनी के पूर्व प्रसारक लायनेड फील्डेन को जाता है। लिनलिथगो की पहल पर उद्योग और श्रम विभाग के अधीन अप्रैल 1930 में इंडियन स्टेट ब्राडकास्टिंग सर्विस की शुरुआत हुई। इसे रेडियो प्रसारण को नया रूप देना था। इसके बाद अगस्त 1935 में लायनेड फील्डेन को इस सर्विस का कंट्रोलर नियुक्त किया गया। फील्डेन को यह नाम पसंद नहीं आ रहा था। फील्डेन ने अपनी पुस्तक ‘नेचुरल बेंट’ में लिखा है कि उन्होंने लिनलिथगो को सुझाया कि ब्रॉडकास्टिंग शब्द कठिन है, जो आसानी से भारतीयों की जुबान पर नहीं चढ़ पाएगा। फिर यह नाम भारत सरकार अधिनियम के अनुकूल नहीं आ रहा था। फील्डेन ने इसे ‘ऑल इंडिया रेडियो’ करने का सुझाव दिया। जिसे लिनलिथगो ने स्वीकार कर लिया। इसी के बाद आठ जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो के नाम से दिल्ली के अलीपुर के छह कमरों के एक घर से रेडियो प्रसारण शुरू हुआ। कुछ महीने बाद यह दफ्तर दिल्ली के संसद मार्ग स्थित नए बने प्रसारण भवन में आया और तब से लेकर अब तक दिल्ली केंद्र का प्रसारण वहीं से हो रहा है।

तीन मई 2023 से ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी के नाम से जाना जा रहा है। वैसे ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम गांधी जयंती के दिन 1957 में दिया गया, जिसे अगले दिन से लागू किया गया। आकाशवाणी का जिक्र हमारे पौराणिक ग्रंथों में आकाश से आने वाली आवाज या देववाणी

मिले। आजादी के बाद देश के पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी सरदार पटेल को मिली। उन्हें रेडियो की महत्ता का भान था। इसीलिए उन्होंने रेडियो के तेज विकास की नींव रखी। आजादी के बाद पहला रेडियो स्टेशन 16 जुलाई 1948 को शुरू हुआ। जिसका उद्घाटन पटेल ने किया था। स्वाधीन भारत में रेडियो का चरित्र और लक्ष्य क्या होगा, इसका संकेत सरदार पटेल के उस उद्घाटन भाषण में दिखता है। सार्वजनिक प्रसारक के रूप में रेडियो के लक्ष्य को एक तरह से मद्रास प्रांत के तत्कालीन प्रीमियर सी राजगोपालाचारी ने 1938 में ही रख दिया था। 16 जून 1938 को मद्रास रेडियो स्टेशन का उद्घाटन करते हुए राजगोपालाचारी ने रेडियो को लोक जागरण का महत्वपूर्ण माध्यम बताया था। इसके साथ ही उन्होंने संचार के तेज माध्यम के रूप में रेडियो का शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि संबंधी जानकारी देने के लिए करने पर जोर दिया था। यहां यह बताना जरूरी नहीं है कि सार्वजनिक प्रसारक के रूप में रेडियो आज भी यह भूमिका बखूबी निभा रहा है। भारतीय इतिहास में रेडियो कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है। तीन जून 1947 को भारत विभाजन की योजना की देश को जानकारी रेडियो के जरिए ही मिली। तब माउंट बेटन, नेहरू, जिन्ना और सरदार बलदेव सिंह ने रेडियो के ही माध्यम से अपने विचार रखे थे। 14-15 अगस्त 1947 की दरम्यानी रात को भारत की आजादी के बाद नेहरू के प्रसिद्ध भाषण ‘ट्रिस्ट विथ डैस्टिनी’ को देश ने रेडियो के जरिए सुना था।

सरोगेसी के बहाने चल रहे कारोबार पर सरकार का बड़ा प्रहार, नए नियमों से बढ़ेगी पारदर्शिता

(**प्रमोद भार्गव)**

कृत्रिम गर्भाधान ने आज जिस तरह व्यवसाय का रूप ले लिया है, वह चिंता का विषय है। मगर अब केंद्र सरकार ‘किराए की कोख’ के नाम पर चल रहे कारोबार पर अंकुश लगाने जा रही है। इसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि किराए की कोख उपलब्ध कराने के नाम पर चल रही मनमानी पर लगाम लगेंगी।

दरअसल, ‘सरोगेसी सेंटर्स’ में काफी समय से चल रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने इसमें पंजीयन और संचालन नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत इन केंद्रों को नियंत्रित किया जाएगा। अब किराए की कोख के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार होंगे। इनकी कड़ी निगरानी होगी। कामजी आवेदन करने की सुविधा प्रतिबंधित कर दी गई है। ‘सरोगेसी क्लीनिक’ जरूरतमंद लोगों को इतनी सहजता से यह सुविधा नहीं दे सकेंगे। केंद्र सरकार ने नए नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं।

किराए की कोख के कानून में परिवर्तन इसके बढ़ते व्यापार पर लगाम लगाने के लिए किया गया है। अब केवल निसंतान दंपति, जो बच्चे पैदा करने में शारीरिक रूप से अक्षम हैं, वे अपने किराी करीबी रिश्तेदार की मदद ले सकते हैं। इस सुविधा को कानूनी भाषा में ‘अल्टरइस्टिक सरोगेसी’ कहा जाता है।

भारत दुनिया भर के दंपतियों के लिए किराए की कोख का एक बड़ा व्यावसायिक केंद्र बनता जा रहा है। दरअसल, जो सुविधा वास्तविक जरूरतमंदों के लिए सड़क की गई थी, वह अमीर दंपतियों के लिए शौक में बदलती जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार के बाद भारत में प्रजनन का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। इसमें किराए पर कोख दिए जाने का व्यवसाय भी शामिल है। चिकित्सा पर्यटन के बहाने विदेशी पर्यटक प्रसूति पर्यटन के लिए भी आ रहे हैं।

यह तथ्य है कि पिछले कुछ बरसों में देश में कृत्रिम

भारत दुनिया भर के दंपतियों के लिए किराए की कोख का एक बड़ा व्यावसायिक केंद्र बनता जा रहा है।

दरअसल, जो सुविधा वास्तविक जरूरतमंदों के लिए शुरू की गई थी, वह अमीर दंपतियों के लिए शौक में

बदलती जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार के बाद भारत में प्रजनन का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। इसमें

किराए पर कोख दिए जाने का व्यवसाय भी शामिल है। चिकित्सा पर्यटन के बहाने विदेशी पर्यटक प्रसूति पर्यटन

के लिए भी आ रहे हैं। यह तथ्य है कि पिछले कुछ बरसों में देश में कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों की संख्या 35 से 50

फीसदी बढ़ गई है। इसी अनुपात में कृत्रिम गर्भाधान के नाम पर जालसाजी बढ़ी है।



गर्भाधान केंद्रों की संख्या 35 से 50 फीसदी बढ़ गई है। इसी अनुपात में कृत्रिम गर्भाधान के नाम पर जालसाजी बढ़ी है। हैदराबाद में ऐसा गिरोह पकड़ा गया, जो दो लाख से चार लाख रुपये में कोख किराए पर लेकर उसे 30 लाख रुपये तक में बेच देता था। यहां तक कि विदेश से भी शूक्राणु दानदाता लाए गए। यानी देश के बाहर भी बच्चे बचे गए।

हालांकि, वर्ष 2025 में सरकार ने शूक्राणु दाता नियमों में बदलाव किया था, लेकिन कारोबारियों ने नियमों की अनदेखी की। नाबालिग और अविवाहित लड़कियों की कोख का भी अवैध इस्तेमाल किया गया। भारत में कोख किराए पर लेने का खर्च 10 से 25 लाख रुपये है, जबकि विदेश में 80 लाख से डेढ़ करोड़ रुपये तक है। इसलिए ‘सरोगेसी क्लीनिक’ में किराए की कोख अवैध कारोबार का बड़ा धंधा बनती जा रही है।

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और तमिलनाडु में अनेक मामले सामने आए, जिनमें ठगी की गई। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सरकार को नियमों में बदलाव करना पड़ा। इसके पहले 2025 में समलैंगिक युगलों को किराए की कोख के जरिए माता-पिता बनने का अधिकार देने से मना कर दिया गया था।

अब ऑनलाइन जानकारी होने से निगरानी तंत्र के

पास कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों के संचालन और नवीनीकरण संबंधी जानकारी हर वक्त सामने होगी। इससे अनियमितता को आसानी से चिह्नित कर लिया जाएगा। क्लीनिक के पास वैध दस्तावेज हैं या नहीं, इसकी भी पुख्ता जानकारी मिलती रहेगी। कोई भी कमी पाए जाने पर संस्था को प्रतिबंधित किया जा सकेगा। इन केंद्रों में कर्मचारियों से लेकर बच्चों के जन्म तक की

जानकारी मिलती रहेगी।

सरकार इन नियमों को एक साथ लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से अमल में लाएगी। वर्तमान कानून के अनुसार किसी अन्य महिला की कोख के लिए अनुमति तब मिलती है, जब कानून के अनुसार विवाहित जोड़ा शारीरिक रूप से अक्षम हो या फिर गर्भाधारण करने में पत्नी की जान को खतरा हो। यानी इस

नियमों को एक साथ लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से अमल में लाएगी।

वर्तमान कानून के अनुसार किसी अन्य महिला की कोख के लिए अनुमति तब मिलती है, जब कानून के अनुसार विवाहित जोड़ा शारीरिक रूप से अक्षम हो या फिर गर्भाधारण करने में पत्नी की जान को खतरा हो। यानी इस

नियमों को एक साथ लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से अमल में लाएगी।

वर्तमान कानून के अनुसार किसी अन्य महिला की कोख के लिए अनुमति तब मिलती है, जब कानून के अनुसार विवाहित जोड़ा शारीरिक रूप से अक्षम हो या फिर गर्भाधारण करने में पत्नी की जान को खतरा हो। यानी इस

नियमों को एक साथ लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से अमल में लाएगी।

वर्तमान कानून के अनुसार किसी अन्य महिला की कोख के लिए अनुमति तब मिलती है, जब कानून के अनुसार विवाहित जोड़ा शारीरिक रूप से अक्षम हो या फिर गर्भाधारण करने में पत्नी की जान को खतरा हो। यानी इस

नियमों को एक साथ लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से अमल में लाएगी।

वर्तमान कानून के अनुसार किसी अन्य महिला की कोख के लिए अनुमति तब मिलती है, जब कानून के अनुसार विवाहित जोड़ा शारीरिक रूप से अक्षम हो या फिर गर्भाधारण करने में पत्नी की जान को खतरा हो। यानी इस

नियमों को एक साथ लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से अमल में लाएगी।

वर्तमान कानून के अनुसार किसी अन्य महिला की कोख के लिए अनुमति तब मिलती है, जब कानून के अनुसार विवाहित जोड़ा शारीरिक रूप से अक्षम हो या फिर गर्भाधारण करने में पत्नी की जान को खतरा हो। यानी इस

नियमों को एक साथ लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से अमल में लाएगी।

वर्तमान कानून के अनुसार किसी अन्य महिला की कोख के लिए अनुमति तब मिलती है, जब कानून के अनुसार विवाहित जोड़ा शारीरिक रूप से अक्षम हो या फिर गर्भाधारण करने में पत्नी की जान को खतरा हो। यानी इस

नियमों को एक साथ लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से अमल में लाएगी।

वर्तमान कानून के अनुसार किसी अन्य महिला की कोख के लिए अनुमति तब मिलती है, जब कानून के अनुसार विवाहित जोड़ा शारीरिक रूप से अक्षम हो या फिर गर्भाधारण करने में पत्नी की जान को खतरा हो। यानी इस

नियमों को एक साथ लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से अमल में लाएगी।

वर्तमान कानून के अनुसार किसी अन्य महिला की कोख के लिए अनुमति तब मिलती है, जब कानून के अनुसार विवाहित जोड़ा शारीरिक रूप से अक्षम हो या फिर गर्भाधारण करने में पत्नी की जान को खतरा हो। यानी इस

नियमों को एक साथ लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से अमल में लाएगी।

वर्तमान कानून के अनुसार किसी अन्य महिला की कोख के लिए अनुमति तब मिलती है, जब कानून के अनुसार विवाहित जोड़ा शारीरिक रूप से अक्षम हो या फिर गर्भाधारण करने में पत्नी की जान को खतरा हो। यानी इस

नियमों को एक साथ लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से अमल में लाएगी।

वर्तमान कानून के अनुसार किसी अन्य महिला की कोख के लिए अनुमति तब मिलती है, जब कानून के अनुसार विवाहित जोड़ा शारीरिक रूप से अक्षम हो या फिर गर्भाधारण करने में पत्नी की जान को खतरा हो। यानी इस

नियमों को एक साथ लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से अमल में लाएगी।

वर्तमान कानून के अनुसार किसी अन्य महिला की कोख के लिए अनुमति तब मिलती है, जब कानून के अनुसार विवाहित जोड़ा शारीरिक रूप से अक्षम हो या फिर गर्भाधारण करने में पत्नी की जान को खतरा हो। यानी इस

नियमों को एक साथ लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से अमल में लाएगी।

वर्तमान कानून के अनुसार किसी अन्य महिला की कोख के लिए अनुमति तब मिलती है, जब कानून के अनुसार विवाहित जोड़ा शारीरिक रूप से अक्षम हो या फिर गर्भाधारण करने में पत्नी की जान को खतरा हो। यानी इस

नियमों को एक साथ लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से अमल में लाएगी।

वर्तमान कानून के अनुसार किसी अन्य महिला की कोख के लिए अनुमति तब मिलती है, जब कानून के अनुसार विवाहित जोड़ा शारीरिक रूप से अक्षम हो या फिर गर्भाधारण करने में पत्नी की जान को खतरा हो। यानी इस

नियमों को एक साथ लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से अमल में लाएगी।

वर्तमान कानून के अनुसार किसी अन्य महिला की कोख के लिए अनुमति तब मिलती है, जब कानून के अनुसार विवाहित जोड़ा शारीरिक रूप से अक्षम हो या फिर गर्भाधारण करने में पत्नी की जान को खतरा हो। यानी इस

नियमों को एक साथ लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से अमल में लाएगी।

वर्तमान कानून के अनुसार किसी अन्य महिला की कोख के लिए अनुमति तब मिलती है, जब कानून के अनुसार विवाहित जोड़ा शारीरिक रूप से अक्षम हो या फिर गर्भाधारण करने में पत्नी की जान को खतरा हो। यानी इस

नियमों को एक साथ लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से अमल में लाएगी।

वर्तमान कानून के अनुसार किसी अन्य महिला की कोख के लिए अनुमति तब मिलती है, जब कानून के अनुसार विवाहित जोड़ा शारीरिक रूप से अक्षम हो या फिर गर्भाधारण करने में पत्नी की जान को खतरा हो। यानी इस

नियमों को एक साथ लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से अमल में लाएगी।

वर्तमान कानून के अनुसार किसी अन्य महिला की कोख के लिए अनुमति तब मिलती है, जब कानून के अनुसार विवाहित जोड़ा शारीरिक रूप से अक्षम हो या फिर गर्भाधारण करने में पत्नी की जान को खतरा हो। यानी इस

नियमों को एक साथ लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से अमल में लाएगी।

वर्तमान कानून के अनुसार किसी अन्य महिला की कोख के लिए अनुमति तब मिलती है, जब कानून के अनुसार विवाहित जोड़ा शारीरिक रूप से अक्षम हो या फिर गर्भाधारण करने में पत्नी की जान को खतरा हो। यानी इस

नियमों को एक साथ लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से अमल में लाएगी।

वर्तमान कानून के अनुसार किसी अन्य महिला की कोख के लिए अनुमति तब मिलती है, जब कानून के अनुसार विवाहित जोड़ा शारीरिक रूप से अक्षम हो या फिर गर्भाधारण करने में पत्नी की जान को खतरा हो। यानी इस

नियमों को एक साथ लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से अमल में लाएगी।

वर्तमान कानून के अनुसार किसी अन्य महिला की कोख के लिए अनुमति तब मिलती है, जब कानून के अनुसार विवाहित जोड़ा शारीरिक रूप से अक्षम हो या फिर गर्भाधारण करने में पत्नी की जान को खतरा हो। यानी इस

नियमों को एक साथ लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से अमल में लाएगी।

वर्तमान कानून के अनुसार किसी अन्य महिला की कोख के लिए अनुमति तब मिलती है, जब कानून के अनुसार विवाहित जोड़ा शारीरिक रूप से अक्षम हो या फिर गर्भाधारण करने में पत्नी की जान को खतरा हो। यानी इस

नियमों को एक साथ लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से अमल में लाएगी।

वर्तमान कानून के अनुसार किसी अन्य महिला की कोख के लिए अनुमति तब मिलती है, जब कानून के अनुसार विवाहित जोड़ा शारीरिक रूप से अक्षम हो या फिर गर्भाधारण करने में पत्नी की जान को खतरा हो। यानी इस

नियमों को एक साथ लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से अमल में लाएगी।

वर्तमान कानून के अनुसार किसी अन्य महिला की कोख के लिए अनुमति तब मिलती है, जब कानून के अनुसार विवाहित जोड़ा शारीरिक रूप से अक्षम हो या फिर गर्भाधारण करने में पत्नी की जान को खतरा हो। यानी इस

नियमों को एक साथ लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से अमल में लाएगी।

वर्तमान कानून के अनुसार किसी अन्य महिला की कोख के लिए अनुमति तब मिलती है, जब कानून के अनुसार विवाहित जोड़ा शारीरिक रूप से अक्षम हो या फिर गर्भाधारण करने में पत्नी की जान को खतरा हो। यानी इस

नियमों को एक साथ लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से अमल में लाएगी।

वर्तमान कानून के अनुसार किसी अन्य महिला की कोख के लिए अनुमति तब मिलती है, जब कानून के अनुसार विवाहित जोड़ा शारीरिक रूप से अक्षम हो या फिर गर्भाधारण करने में पत्नी की जान को खतरा हो। यानी इस

नियमों को एक साथ लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से अमल में लाएगी।

वर्तमान कानून के अनुसार किसी अन्य महिला की कोख के लिए अनुमति तब मिलती है, जब कानून के अनुसार विवाहित जोड़ा शारीरिक रूप से अक्षम हो या फिर गर्भाधारण करने में पत्नी की जान को खतरा हो। यानी इस

नियमों को एक साथ लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से अमल में लाएगी।

वर्तमान कानून के अनुसार किसी अन्य महिला की कोख के लिए अनुमति तब मिलती है, जब कानून के अनुसार विवाहित जोड़ा शारीरिक रूप से अक्षम हो या फिर गर्भाधारण करने में पत्नी की जान को खतरा हो। यानी इस

नियमों को एक साथ लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से अमल में लाएगी।

वर्तमान कानून के अनुसार किसी अन्य महिला की कोख के लिए अनुमति तब मिलती है, जब कानून के अनुसार विवाहित जोड़ा शारीरिक रूप से अक्षम हो या फिर गर्भाधारण करने में पत्नी की जान को खतरा हो। यानी इस

नियमों को एक साथ लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से अमल में लाएगी।

वर्तमान कानून के अनुसार किसी अन्य महिला की कोख के लिए अनुमति तब मिलती है, जब कानून के अनुसार विवाहित जोड़ा शारीरिक रूप से अक्षम हो या फिर गर्भाधारण करने में पत्नी की जान को खतरा हो। यानी इस

नियमों को एक साथ लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से अमल में लाएगी।

वर्तमान कानून के अनुसार किसी अन्य महिला की कोख के लिए अनुमति तब मिलती है, जब कानून के अनुसार विवाहित जोड़ा शारीरिक रूप से अक्षम हो या फिर गर्भाधारण करने में पत्नी की जान को खतरा हो। यानी इस

नियमों को एक साथ लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से अमल में लाएगी।

वर्तमान कानून के अनुसार किसी अन्य महिला की कोख के

मारुति सुजुकी ने पावर-पैक्ड परफॉरमेंस के साथ New Brezza Turbo Boosterjet लॉन्च की



नई दिल्ली: मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (मारुति सुजुकी) ने युवा भारत के लिए रोमांचक ड्राइविंग परफॉरमेंस देने वाली New Brezza Turbo Boosterjet को लॉन्च करने की घोषणा की है। आज के बहुआयामी ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन की गई New Brezza Turbo उनके जीवन के हर पहलू में मौजूद विभिन्न व्यक्तित्वों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। New Brezza Turbo Boosterjet ✕0 Spontaneous Play की सोच के साथ तैयार किया गया है।

यह युवा ट्रेंडसेटर्स के लिए इंजीनियर किया गया है, जो जीवन के हर पहलू में मस्ती और निडरता की तलाश करते हैं। New Brezza टर्बो बूस्टरजेट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7,39,900 है। New Brezza, भरोसेमंद और बेहतर K15C डुअल जेट डुअल VVT इंजन और प्रोग्रेसिव स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ भी उपलब्ध है। 14 लाख से ज्यादा ग्राहकों के भरोसे को आगे बढ़ाते हुए, New Brezza K15C में नया 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और स्टीयरिंग-माउंटेड पैडल शिफ्टर्स के साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है। स्टैटेजिक प्ले की अपनी पहचान के साथ New Brezza K15C अपने सेगमेंट में दबदबा बनाए रखती है और उन महत्वाकांक्षी प्रोफेशनल्स को आकर्षित करती है, जिनकी पसंद उनके लक्ष्यों और सपनों से जुड़ी होती है।

New Brezza के लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मार्केटिंग एंड सेल्स, श्री पाथों बनर्जी ने कहा, "New Brezza एक ऐसी एसयूवी है जो वास्तव में युवा भारत की आकांक्षाओं के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। New Brezza Turbo Boosterjet के साथ हम ड्राइविंग के रोमांच का एक नया आयाम जोड़ रहे हैं जो युवा भारत की ऊर्जा और वाइब से पूरी तरह मेल खाता है। New Brezza को ग्राहकों की अलग-अलग प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, क्योंकि यह उनके विभिन्न मूड और अवसरों के अनुकूल आसानी से ढल जाती है। यह एक ऐसी एसयूवी है जो ग्राहक की पर्सनालिटी के हर पहलू के साथ सामंजस्य स्थापित करती है, चाहे वह काम पर हों या खेल-कूद के मूड में—उनकी जीवनशैली के विविध पहलुओं से मेल खाती है और उन्हें लीड एवरी प्ले (‘Lead Every Play’) में सक्षम बनाती है। यही एक बेहतरने प्रोडक्ट की असली पहचान है, जो ग्राहकों के अनुभार ढल जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि New Brezza भारत की पसंदीदा कॉम्पैक्ट एसयूवी के रूप में इस ब्रांड की विरासत को और आगे बढ़ाएगी।

निगम जोन 7 ने वार्ड 22 में शनिवार को 35 सफाई कामगारों के गैंग से चलाया विशेष सफाई अभियान

रायपुर। आज शनिवार को रायपुर नगर निगम जोन 7 स्वास्थ्य विभाग द्वारा जोन अंतर्गत डॉ ईश्वरी चरण शुक्ल वार्ड क्रमांक 22 के क्षेत्र में 35 सफाई कामगारों के विशेष गैंग से सफाई अभियान चलाया गया. इसमें जोन के प्रत्येक वार्ड के 5 सफाई कामगारों ने वार्ड 22 क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया. प्रत्येक शनिवार को एक वार्ड की सफाई नगर निगम जोन 7 स्वास्थ्य विभाग द्वारा 35 सफाई कामगारों के विशेष गैंग से करवाई जाएगी. आज डॉ ईश्वरी चरण शुक्ल वार्ड क्रमांक 22 में 35 सफाई कामगारों के गैंग द्वारा की गयी विशेष सफाई के अभियान का ठाउँ में प्रत्यक्ष निरीक्षण वार्ड 22 की पार्षद मीना वाठर द्वारा एमआईसी सदस्य भोलाराम साहू एवं जोन 7 जोन कमिश्नर डॉ तृप्ति पाणीग्रही सहित अन्य सम्बंधित जोन अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया.

होर्मुज पर जंग तेज: अमेरिका का ईरान पर लगातार 13वीं रात हमला, तेल 100 डॉलर के पार

वाशिंगटन, एजेंसी। होर्मुज को लेकर बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव लगातार गहराता जा रहा है। अमेरिकी सेना ने गुरुवार को ईरान पर लगातार 13वीं रात हमले किए। वहीं, यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने लाल सागर में सऊदी अरब के दो तेल टैंकरों को निशाना बनाया है। इन घटनाओं ने पूरे पश्चिम एशिया में संघर्ष के और फैलने की आशंका बढ़ा दी है। इसका असर वैश्विक बाजार पर भी दिखा और अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई।

आखिर अमेरिका ने नए हमले क्यों किए: अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ताजा हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना है, जिसके जरिए वह क्षेत्रीय जलक्षेत्र से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों और आम नाविकों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य में अंतरराष्ट्रीय नौवहन को सुरक्षित और सामान्य बनाने की

चार माह 22 दिन बाद 34 मासूमों का अंतिम संस्कार; गमगीन मंजर पर फूट-फूटकर रोया ईरान

तेहरान, एजेंसी। अमेरिका-इस्‍राइल और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष के पहले दिन, 28 फरवरी को ईरान के मिनाब शहर स्थित शजरै तैय्यबा प्राथमिक विद्यालय पर बमबारी की गई थी। इस हमले में 68 स्कूली बच्चियों के शरीर क्षत-विक्षत अवस्था में मिले थे। इनमें से केवल 34 बच्चों की ही पहचान हो सकी। 22 जुलाई को जब इन मासूमों के ताबूत अंतिम संस्कार के लिए निकाले गए तो पूरा मिनाब शहर गम में डूब गया। हर ओर मातम, आंसू और सन्नाटा पसरा था।

हमले के बाद बचाव दलों को मलबे से बच्चों के शरीरों के केवल टुकड़े ही मिले थे। इनकी पहचान करना बेहद मुश्किल था। महीनों तक चले जटिल डीएनए परीक्षण के बाद करीब चार माह 22 दिन में 34 बच्चों की पहचान संभव हो सकी। इसके बाद ही उनके परिजनों को अंतिम संस्कार की अनुमति दी गई। स्कूल पर हुए इस हमले ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। कई देशों

और मानवाधिकार संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की। जगह-जगह लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किए और



निंदोंष बच्चों पर हुए इस हमले को अमानवीय करार दिया।

पहचान पूरी होने के बाद 22 जुलाई को बच्चों के ताबूत राष्ट्रीय झंडे में लपेटकर शहर की सड़कों से अंतिम



यात्रा निकाली गई। हजारों लोग नम आंखों से इस यात्रा में शामिल हुए।

दूसरों की किस्मत बताने वाली खुद नहीं जान पाई अपना भविष्य!

मॉस्को में पावर बैंक फटने से झुलसीं इन्फ्लुएंसर अन्ना

मॉस्को, एजेंसी। रूस की महिला इन्फ्लुएंसर और ज्योतिष अन्ना ओटाविना के मॉस्को स्थित पेंटहाउस में रात के समय बिस्तर पर रखा पावर बैंक फट गया। पावर बैंक ओवरहेटिंग होकर ब्लास्ट हुआ, इससे अन्ना ओटाविना की पीठ का 30 फीसदी हिस्सा गंभीर रूप से झुलस गया और बाल भी जल गए।

इस घटना के बाद अन्ना ने अपने फॉलोअर्स को सतर्क करते हुए चेतावनी दी है कि सोते समय या बिस्तर जैसी नरम सतहों पर पावर बैंक व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चार्जिंग पर छोड़ना जानलेवा साबित हो सकता है।

वहीं इस घटना के बात इस बात की भी चर्चा हो रही है कि दूसरों की किस्मत बताने वाली ज्योतिष खुद का भविष्य नहीं जान पाई, जिसके कारण इस दुर्घटना का शिकार होना पड़ा।



कैसे लगी आग? अन्ना ओटाविना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए वीडियो में बताया कि उनका पोर्टेबल चार्जर, जिसे उन्होंने फोन चार्ज करने के लिए बिस्तर पर रखा था, अचानक बहुत ज्यादा गर्म हो गया। जिसके कारण ब्लास्ट हो गया और वो घायल हो गईं।



ओटाविना का कहना है पावर बैंक इसलिए ब्लास्ट हुआ, क्योंकि वह इसे किसी ठोस, हवादार सतह के बजाय नरम बिस्तर पर रख दी थी, जिसके कारण वह बहुत गर्म हो गया। वह पावर बैंक की ओर पीठ करके सो रही थी, जिसके कारण पीठ का लगभग 30 फीसदी हिस्सा जल गया और बाल भी झुलस गए।

भारत ने यूएन में लगाई पाकिस्तान को लताड़

पीओके में कश्मीरियों के दमन की गवाह है पूरी दुनिया

संयुक्त राष्ट्र, एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में भारत ने पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ा जवाब दिया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भ्रामक प्रचार करने के बजाय अपने देश और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में हो रहे दमन पर ध्यान देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में ‘विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के तंत्र को मजबूत करने’ विषय पर आयोजित खुली बहस में भारत का पक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने कहा, ‘पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में हालिया घटनाक्रम पाकिस्तान की वास्तविकता को उजागर करते हैं। ‘

भारत ने पाकिस्तान को जमकर सुनाया: राजदूत पी. हरीश ने आगे कहा, ‘पूरी दुनिया पीओके में कश्मीरियों के बुनियादी अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आजादी के लगातार दमन की गवाह है। यह कोई अलग-थलग की घटनाएं नहीं हैं, बल्कि करीब आठ दशकों से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अपनाई जा रही एक व्यापक नीति का हिस्सा है। यही स्थिति

पाकिस्तान के अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है।’ उन्होंने पाकिस्तान की आंतरिक राजनीतिक स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि वहां लोकतांत्रिक



संस्थाएं लगातार कमजोर हुई हैं। उन्होंने कहा, ‘पूर्व प्रधानमंत्री सहित कई नेताओं की गिरफ्तारी, मुख्य विपक्षी दल को चुनावी प्रक्रिया से बाहर करना, 27वें संविधान संशोधन के जरिए सेना का संवैधानिक हस्तक्षेप और ऐसे अन्य कदमों ने लोकतंत्र की बची-खुची व्यवस्था को भी कमजोर कर दिया है। ‘जम्मू-कश्मीर भारत का अधिन्न हिस्सा था, है और रहेगा : स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने संयुक्त राष्ट्र में

पाकिस्तान की ओर से कश्मीर मुद्दा उठाने को वैश्विक मंच का दुरुपयोग बताया। उन्होंने कहा, ‘जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश हमेशा भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और रहेगा। यह भारत की संवैधानिक और कानूनी वास्तविकता है, जिसे पाकिस्तान जानबूझकर नजरअंदाज करता है।’ उन्होंने कहा, ‘जम्मू-कश्मीर के संबंध में एकमात्र लंबित मुद्दा भारत के संप्रभु क्षेत्र पर पाकिस्तान का खुला आक्रमण और उसका अवैध कब्जा है। ‘

भ्रामक प्रचार बंद करे पाकिस्तान: पी. हरीश

भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा, ‘पाकिस्तान को चाहिए कि वह धार्मिक भावनाओं का सहारा लेकर झूठा प्रचार करने और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को गुमराह करने के बजाय अपने देश की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान दे।’ भारत ने यह भी कहा कि अन्य देशों में इस तरह की घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र तीखी प्रतिक्रिया देता है, लेकिन पाकिस्तान में हो रहे ऐसे दमन पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, जितना दिया जाना चाहिए।

इसके बाद मिनाब के शहीदों के कब्रिस्तान में पूरे सम्मान के साथ इन मासूमों को दफनाया गया। ‘नो सरेंडर’ के नारों से गुंजा ईरान मंगलवार को ईरान के सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित तस्वीरों में मिनाब के एक सार्वजनिक चौक पर हजारों लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। पुरुष इस्लामी गणराज्य ईरान के झंडे लहरा रहे थे, जबकि काले चादर (चादोर) ओढ़े महिलाएं अलग समूह में मौजूद थीं। मंच से खुद को मृत बच्ची ‘अतेना’ की मां बताने वाली एक महिला ने बच्चों की तस्वीरों वाला पोस्टर उठाते हुए उसे ‘अमेरिकी अपराधों का दस्तावेज’ बताया। उन्होंने भावुक स्वर में कहा, ‘मेरे बच्चे ईश्वर के मार्ग में शहीद हुए हैं।’ इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने अमेरिका और इजरायल की नीतियों के खिलाफ जोरदार नारे लगाए और ‘नो सरेंडर’ (हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे) के नारों से पूरा परिसर गुंज उठा।

न्यूयॉर्क में दो लोगों पर चाकू से हमला एक एशियाई शामिल, पुलिस और ममदानी ने जताई हेट क्राइम की आशंका



न्यूयॉर्क, एजेंसी। न्यूयॉर्क के मैनहटन के अपर वेस्ट साइड इलाके में दो अलग-अलग घटनाओं में दो लोगों पर चाकू से हमला किया गया। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने राउल मोरालेस को दोनों मामलों में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने कहा कि जांच अधिकारी हमलों के पीछे की वजह की जांच कर रहे हैं। इसमें यह भी देखा जा रहा है कि क्या यह नफरत फैलाने वाले अपराध का मामला है। न्यूयॉर्क शहर की पुलिस आयुक्त जेसिका एस टिश ने गुरुवार (स्थानीय समय) को जारी बयान में कहा कि दोनों पीड़ितों (एक एशियाई और एक यहूदी व्यक्ति) को माउंट सीनाई सेंट ल्यूक्स अस्पताल ले जाया गया है। दोनों के ठीक होने की उम्मीद है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, आज दोपहर अपर वेस्ट साइड में दो अलग-अलग हमलों में दो लोगों पर चाकू से हमला किया गया। दोनों पीड़ित को माउंट सीनाई सेंट ल्यूक्स अस्पताल ले जाया गया है और दोनों के बचने की उम्मीद है। पुलिस आयुक्त ने कहा, न्यूयॉर्क पुलिस ने दोनों हमलों के मामले में राउल मोरालेस (51 वर्षीय) को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति की तलाश नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच अधिकारी अब भी मामले की जांच कर रहे हैं और हमलों की वजह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। टिश ने कहा कि पीड़ितों और चरमदींदों के बयानों के अनुसार, मोरालेस ने दोनों हमलों के दौरान ‘अल्लाहु अकबर’ चिल्लाया था। न्यूयॉर्क पुलिस इस बात की जांच कर रही

मेयर ममदानी ने क्या कहा

न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्हें हमले की जानकारी दे दी गई है और उन्हें राहत है कि दोनों पीड़ितों की हालत स्थिर है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, आज अपर वेस्ट साइड में हुए इस खौफनाक चाकू के हमले की मुझे जानकारी दी गई है, जिसमें एक एशियाई और एक यहूदी व्यक्ति पर हमला किया गया। पीड़ितों और चरमदींदों के अनुसार, आरोपी ने दोनों हमलों के दौरान ‘अल्लाहु अकबर’ चिल्लाया था। मुझे राहत है कि दोनों पीड़ितों की हालत स्थिर है। मेयर ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि पुलिस ने दोनों हमलों के मामले में राउल मोरालेस को गिरफ्तार कर लिया है।

है कि क्या यह नफरत फैलाने वाला अपराध हो सकता है। पुलिस आयुक्त ने यह भी कहा कि विभाग के दस्तावेजों में आरोपी के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा कोई पुराना मामला नहीं है। हालांकि, शुरुआती जांच से संकेत मिले हैं कि मानसिक स्वास्थ्य इस घटना का एक कारण हो सकता है। पुलिस ने कहा कि अब तक जांच में आरोपी और दोनों पीड़ितों के बीच या दोनों पीड़ितों के बीच आपसी संबंध का कोई सबूत नहीं मिला है। टिश ने एक आम नारार्क और पुलिसकर्मीयों की सराहना भी की। पुलिस को उस जगह तक पहुंचाया, जहां आरोपी छिपा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने बिना किसी और के घायल हुए उसे पकड़ लिया।

अमेरिकाने फिर फोड़ टैरिफ बम

भारत समेत 17 देशों पर लगाया 10 फीसदी शुल्क, क्या पाकिस्तान का नाम भी है शामिल

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका ने

जबरन श्रम से बने उत्पादों के आयात पर कार्रवाई करते हुए भारत सहित 17 देशों से आयातित वस्तुओं पर 10 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) जैमीसन ग्रीर ने शुक्रवार को 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत 60 देशों पर नए शुल्क की घोषणा की। यह फैसला सभी देशों पर लगाए गए अतिरिक्त 10 प्रतिशत शुल्क की अवधि समाप्त होने से एक दिन पहले लिया गया।

यूएसटीआर के बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर जैमीसन ग्रीर ने उन 60 अर्थव्यवस्थाओं पर अंतिम कार्रवाई की है, जिन्होंने जबरन श्रम से बने उत्पादों के आयात पर प्रभावी रोक लगाने और उसे लागू करने में विफलता दिखाई है। ग्रीर ने कहा, ‘यह कदम मानवाधिकारों के उल्लंघन और व्यापार में पैदा हुई विकृतियों को दूर करने की दिशा में है, ताकि

दुनिया भर के श्रमिकों के हितों की रक्षा की जा सके। ‘ 10 प्रतिशत



शुल्क भारत, कनाडा, ब्रिटेन, बांग्लादेश और पाकिस्तान समेत 17 देशों पर लागू होगा। इससे पहले प्रस्तावित सूची में भारत को 12.5 प्रतिशत शुल्क वाले देशों की श्रेणी में रखा गया था। इस संबंध में जारी संघीय नोट में कहा गया कि जून में प्रस्तावित शुल्क की घोषणा के बाद भारत ने जबरन श्रम से बने उत्पादों के आयात पर रोक लगाने का फैसला किया। 14 जून को भारत ने अपनी विदेश व्यापार नीति में

संशोधन कर जबरन श्रम से तैयार वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। ट्रंप प्रशासन ने ये दोनों जांच उस समय शुरू की थीं, जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में पिछले वर्ष लगाए गए ‘पारस्परिक शुल्क (रिसिप्रोकल टैरिफ)’ को आपातकालीन शक्तियों के तहत अवैध करार दिया था। इसके बाद प्रशासन ने सभी देशों पर 10 प्रतिशत शुल्क लगाया था, जिसकी अवधि शुक्रवार को समाप्त हो रही है। भारत ने यूएसटीआर की दोनों जांचों पर आपत्ति जताई है और कहा है कि इन मुद्दों पर दोनों देशों के बीच चल रही द्विपक्षीय व्यापार समझौता वार्ता के दौरान चर्चा की जा सकती है। अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और भारतीय निर्यात का सबसे बड़ा बाजार है। वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 141 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।

वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो चुकी है। सामान्य परिस्थितियों में दुनिया के करीब 20 प्रतिशत तेल और गैस की आपूर्ति इसी समुद्री मार्ग से होती है। ऐसे में कई देश अब वैकल्पिक शिपिंग रूट तलाशने में जुट गए हैं।

ट्रंप ने ईरान और हूतियों को क्या चेतावनी दी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि यदि जहाजों पर हमले जारी रहे तो हूती विद्रोहियों को ‘कड़ी सैन्य सजा’ दी जाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यदि भविष्य में ऐसे हमले दोबारा हुए तो अमेरिका इसके लिए सीधे ईरान को जिम्मेदार मानेगा, क्योंकि हूती संगठन ईरान के समर्थन से काम करता है। ट्रंप ने कहा कि ईरान और हूतियों—दोनों को इसका गंभीर सैन्य परिणाम भुगतना पड़ेगा।

तेल बाजार पर कितना पड़ा असर: लगातार बढ़ते तनाव का सीधा असर अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार पर देखने को मिला। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत गुरुवार को छह प्रतिशत से अधिक उछलकर लगभग 100 डॉलर प्रति

है: इस बीच हूती विद्रोहियों ने एक और महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्ग को बाधित करने की धमकी दी है। पहले ही ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य बंद किए जाने से



होर्मुज जलडमरूमध्य के निकट स्थित हैं, धमाकों की जानकारी दी। इसके अलावा उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों एंडिमेशक और ओमिदियेह के आसपास भी विस्फोटों की

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक आशिष कुमार कंठले द्वारा कलयुग का भारत द्वारा अग्रदूत कॉम्प्लेक्स, रजबंथा मैदान, भाजपा कार्यालय के पास, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित एवं वार्ड नंबर 18 बाजार पारा बेमेतरा पोस्ट व जिला बेमेतरा छ.ग. पिन कोड 491335 से प्रकाशित। संपादक आशिष कुमार कंठले समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार मो. नं. 7999238079, 7828658259, समस्त विवादों का निपटारा बेमेतरा न्यायालय होगा।